परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 2687 **सदन में उत्तर देने का दिनांक 28.02.2017**

माननीय विधायक श्री दीवान सिंह विठ्ठल

विधानसभा क्षेत्र पानसेमल अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों की सूची

क.	विधानसभा क्षेत्र	स्वीकृत वर्ष	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि	मार्ग का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	पानसेमल	2008–09	14-10-13	मलगांव से जलियापानी	अपूर्ण	ठेकेदार द्वारा अनुंधानुसार कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण दिनांक 23.05.2016 को अनुबंध निरस्त किया गया। मुख्यायल द्वारा अनुछेद 24 अन्तर्गत सुनवाई उपरान्त पत्र दिनांक 22.10.2016 द्वारा कार्यों की जांच/निरीक्षण हेतु एसक्यूएम श्री ओ.पी. शर्मा को निर्देशित किया गया। एसक्यूएम द्वारा दिनांक 06.01.2017 को मार्ग का निरीक्षण कर प्रतिवेदन रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित की गई है। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत् है एवं कार्य माह मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
2	पानसेमल	2012–13	13-02-15	जामनिया से धनबावडी	अपूर्ण	मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 6.00 मि.मी. है। जिसमें 4.00 कि.मी. लम्बाई का निर्माण कार्य माह मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। मार्ग की 450 मी. लम्बाई महाराष्ट्र राज्य की वनसीमा में होने से अनुमति हेतु वन विभाग महाराष्ट्र शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। स्वीकृति उपरान्त शेष 2.00 कि.मी. लम्बाई का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।

क.	विधानसभा क्षेत्र	स्वीकृत वर्ष	अनुबंधानुसार पूर्णता तिथि	मार्ग का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
3	पानसेमल	2012–13	17-09-14	धावडी से चार्लिपीठा	अपूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से दिनांक 28.03.2016 को अनुंबंध निरस्त किया गया। तथा ठेकेदार को अनुच्छेद 24 की सुनवाई उपरान्त पैकेज पुनर्जीवित कर समय प्रदान किया गया था किन्तु फिर भी ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किये जाने से दिनांक 28.06.2016 को पुनः अनुबंध निरस्त किया गया। पुनः पैकेज पुनर्जीवित होने उपरान्त ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से दिनांक 09.11.2016 को पैकेज का अनुबंध निरस्त किया गया एवं ठेकेदार की जमा राशि रू 4.06 लाख की वसूली दिनांक 07.05.2016 को की गई है। ठेकेदार द्वारा धार 24 के अंतर्गत प्राधिकरण मुख्यालय में निरस्तीकरण के विरूद्ध दिये गये आवेदन पर प्राधिकरण मुख्यालय में सुनवाई हो चुकी है। आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण निर्णयाधीन है।